

उत्तराखण्ड शासन

ऊर्जा अनुभाग-1

संख्या : ११३/I(2)/2011-04(8)-102/2010

देहरादून : दिनांक : १५ दिसम्बर, 2011

13.12.11

सर अधीक्षी

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सपष्टित धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सरकारी अधिसूचना संख्या-2867/I(2)/2010-04(8)-102/2008, दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ अर्थात् ग्राम पूर्णा, परगना बधाण, जिला चमोली में सतलुज जल विद्युत निगम लिंग (एस0जे0वि0एन0एल0) को देवसारी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यकता है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन चमोली के जिलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये कार्यवाही करें।

2— चूंकि, राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि यह मामला अत्यावश्यक है इसलिये उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि चमोली के जिलाधिकारी उक्त लोक प्रयोजन के लिये धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान पर, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर सकते हैं।

अनुसूची

जिला चमोली	परगना बधाण	ग्राम पूर्णा	(खसरा नं. क्षेत्र (हेक्टेक्टर में)			
			(1870, 0.010)	(1871, 0.015)	(1872, 0.008)	(1873, 0.013)
(1998, 0.023)	(1999, 0.023)	(2003, 0.028)	(2004, 0.068)	(2005, 0.071)	(2006, 0.034)	(2008, 0.034)
(2009, 0.036)	(2010, 0.030)	(2011, 0.030)	(2012, 0.051)	(2013, 0.004)	(2014, 0.070)	(2015, 0.076)
(2016, 0.040)	(2017, 0.020)	(2018, 0.030)	(2019, 0.023)	(2020, 0.015)	(2021, 0.015)	(2022, 0.020)
(2023, 0.030)	(2024, 0.038)	(2025, 0.034)	(2026, 0.055)	(2027, 0.019)	(2028, 0.015)	(2029, 0.010)
(2030, 0.023)	(2031, 0.060)	(2032, 0.043)	(2033, 0.030)	(2034, 0.035)	(2035, 0.200)	(2037, 0.013)
(2038, 0.015)	(2039, 0.054)	(2040, 0.076)	(2041, 0.031)	(2042, 0.010)	(2043, 0.013)	(2044, 0.026)
(2045, 0.053)	(2052, 0.200)	(2053, 0.010)	(2054, 0.029)	(2055, 0.039)	(2056, 0.039)	(2057, 0.039)
(2058, 0.028)	(2059, 0.029)	(2062, 0.038)	(2065, 0.028)	(2071, 0.018)	(2072, 0.004)	(2073, 0.018)
(2074, 0.024)	(2075, 0.085)	(2087, 0.053)	(2088, 0.023)	(2089, 0.030)	(2090, 0.030)	(2091, 0.030)
(2092, 0.038)	(2093, 0.018)	(2094, 0.040)	(2095, 0.035)	(2105, 0.015)	(2106, 0.015)	(2107, 0.016)
(2108, 0.015)	(2109, 0.106)	(2110, 0.111)	(2122, 0.073)	(2123, 0.029)	(2124, 0.038)	(2125, 0.030)
(2126, 0.019)	(2127, 0.014)	(2128, 0.019)	(2129, 0.029)	(2130, 0.010)	(2131, 0.008)	(2132, 0.004)
(2133, 0.010)	(2137, 0.120)	(2138, 0.135)	(2139, 0.031)	(2140, 0.053)	(2141, 0.053)	(2142, 0.011)
(2143, 0.054)	(2144, 0.043)	(2145, 0.055)	(2146, 0.035)	(2150, 0.008)	(2151, 0.013)	(2152, 0.033)
(2154, 0.004)	(2155, 0.068)	(2162, 0.006)	(2165, 0.009)	(2166, 0.034)		

कल योग = 4.168 हेक्टेक्टर

(2)

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

टिप्पणी:-

जिला चमोली में ग्राम पूर्णा, परगना बधाण में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित देवसारी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु ।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साईट प्लान) कलेक्टर, चमोली के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव

संख्या : ११३ /१(२)/२०११-०४(८)-१०२/२०१०, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के आगामी/असाधारण गजट भाग-4 खण्ड-'ख' में विधायी परिषिष्ठ में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 10 मुद्रित प्रतियां जिलाधिकारी, चमोली तथा 50 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. ✓ मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. उप महाप्रबन्धक, देवसारी जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिलो, देहरादून।
6. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, चमोली। पौड़ी
7. प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.-1913/I(2)/2011-04(8)-102/10, Dated 09 December, 2011 for general information.

Government of Uttarakhand
Energy Sector
No. 1913 /I(2)/2011-04(8)-102/2010
Dated: Dehradun: 09 December, 2011

Notification

In continuation of Government Notification No. 2867/I(2)/2010-04(8)-102/2010, dated 16 December, 2010, issued under sub-section (1) of section 4 read with sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act. No. 1 of 1894), the Governor is pleased to declare under sub section(1) of section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below, is needed for public purpose, namely for the construction of Devsari Hydro Electric Project through Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. in Village Purna, Pargana Badhan, District Chamoli. Therefore, direct the Collector of Chamoli under section 7 of the said Act to take action for the acquisition of the said land.

2- The Governor, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of the said Act, to direct that though no award under section 11 has been made, the Collector, Chamoli may, on the expiration of 15 days from the date of the publication of a notice under sub-section (1) of section 9, take possession of the land, mentioned in the Schedule below for the said public purpose.

Schedule

District	Pargana	Village	Area (in Hec.) & Plot Nos.			
			Chamoli	Badhan	Purna	
(1870, 0.010)	(1871, 0.015)	(1872, 0.008)	(1873, 0.013)	(1951, 0.193)	(1981, 0.040)	(1997, 0.014)
(1998, 0.023)	(1999, 0.023)	(2003, 0.028)	(2004, 0.068)	(2005, 0.071)	(2006, 0.034)	(2008, 0.034)
(2009, 0.036)	(2010, 0.030)	(2011, 0.030)	(2012, 0.051)	(2013, 0.004)	(2014, 0.070)	(2015, 0.076)
(2016, 0.040)	(2017, 0.020)	(2018, 0.030)	(2019, 0.023)	(2020, 0.015)	(2021, 0.015)	(2022, 0.020)
(2023, 0.030)	(2024, 0.038)	(2025, 0.034)	(2026, 0.055)	(2027, 0.019)	(2028, 0.015)	(2029, 0.010)
(2030, 0.023)	(2031, 0.060)	(2032, 0.043)	(2033, 0.030)	(2034, 0.035)	(2035, 0.200)	(2037, 0.013)
(2038, 0.015)	(2039, 0.054)	(2040, 0.076)	(2041, 0.031)	(2042, 0.010)	(2043, 0.013)	(2044, 0.026)
(2045, 0.053)	(2052, 0.200)	(2053, 0.010)	(2054, 0.029)	(2055, 0.039)	(2056, 0.039)	(2057, 0.039)
(2058, 0.028)	(2059, 0.029)	(2062, 0.038)	(2065, 0.028)	(2071, 0.018)	(2072, 0.004)	(2073, 0.018)
(2074, 0.024)	(2075, 0.085)	(2087, 0.053)	(2088, 0.023)	(2089, 0.030)	(2090, 0.030)	(2091, 0.030)
(2092, 0.038)	(2093, 0.018)	(2094, 0.040)	(2095, 0.035)	(2105, 0.015)	(2106, 0.015)	(2107, 0.016)
(2108, 0.015)	(2109, 0.106)	(2110, 0.111)	(2122, 0.073)	(2123, 0.029)	(2124, 0.038)	(2125, 0.030)
(2126, 0.019)	(2127, 0.014)	(2128, 0.019)	(2129, 0.029)	(2130, 0.010)	(2131, 0.008)	(2132, 0.004)
(2133, 0.010)	(2137, 0.120)	(2138, 0.135)	(2139, 0.031)	(2140, 0.053)	(2141, 0.053)	(2142, 0.011)
(2143, 0.054)	(2144, 0.043)	(2145, 0.055)	(2146, 0.035)	(2150, 0.008)	(2151, 0.013)	(2152, 0.033)
(2154, 0.004)	(2155, 0.068)	(2162, 0.006)	(2165, 0.009)	(2166, 0.034)		

Total = 4.168 Hec.

Contd.....2....

(2)

For what purpose required :-

for construction of Devsari Hydro Electric Project through Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. in Village Purna, Pargana, Badhan, District Chamoli.

Note:-

A site plan of land may be inspected by the interested person in the Office of the Collector, Chamoli.

By Order,


(Ravinath Raman)
Additional Secretary